सत्ता परिवर्तन के लिये नहीं
बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिये

स्वराज-आन्दोलन

एक

सामाजिक-आन्दोलन

स्वराज-पुस्तिका

तृतीय संस्करण – फरवरी–2023

–: विषय :–

स्वराज आन्दोलन ट्रस्ट के द्वारा अभी तक किये गये आन्दोलनों का विवरण

प्रकाशक : स्वराज–आन्दोलन ट्रस्ट

Email Id : swarajandolantrustlko315@gmail.com

Mobile Number : 9455037256

ट्रस्ट का दर्शन

जन–आन्दलनों के माध्यम से जनसामान्य को इस तथ्य से अवगत करना कि स्वयं के जीवन–निर्वाह के लिए आवश्यक स्वच्छ व पौष्टिक भोजन, वस्त्र, औषधि व शिक्षा के लिए जनसामान्य स्वालम्बन का आश्रय ले, आत्मनिर्भर बने इसके लिये शासन पर अपनी निर्भरता कम करें। क्योंकि जब जनसामान्य ये सारी चीजें शासन से लेने का प्रयास करेगा, उस स्थिति में शासन जन–सामान्य पर कई प्रकार के प्रत्यक्ष /अप्रत्यक्ष कर आरोपित करेगा इन करों से संचित धन का अधिकतम हिस्सा कई प्रकार के खर्च जैसे कि संचालन खर्च, दलाली, भ्रष्टाचार इत्यादि में समाप्त हो जायेगा। संचित धन का न्यूनतम हिस्सा ही जन सामान्य तक पहुंचेगा। परिणाम यह होगा कि जनता से अगर सोलह आने लिये जायेंगे तो उसमें से बारह आने बीच के लोग हजम कर जायेंगे, जनता के हिस्से में केवल चार आने ही आयेंगे, और ऊपर से जनता पर यह एहसान अलग से लादा जायेगा कि आपके लिए लोक–कल्याणकारी योजनाएँ बनायी गयी। उसके बाद जो बारह आने का भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच होगी, उस प्रक्रिया में भी जनता का ही धन खर्च होगा, अन्ततः जनता के हाथ कुछ आने वाला नहीं है, केवल कभी न समाप्त होने वाला शोषण का चक्र अनवरत जारी रहेगा।

ट्रस्ट का उद्देश्य

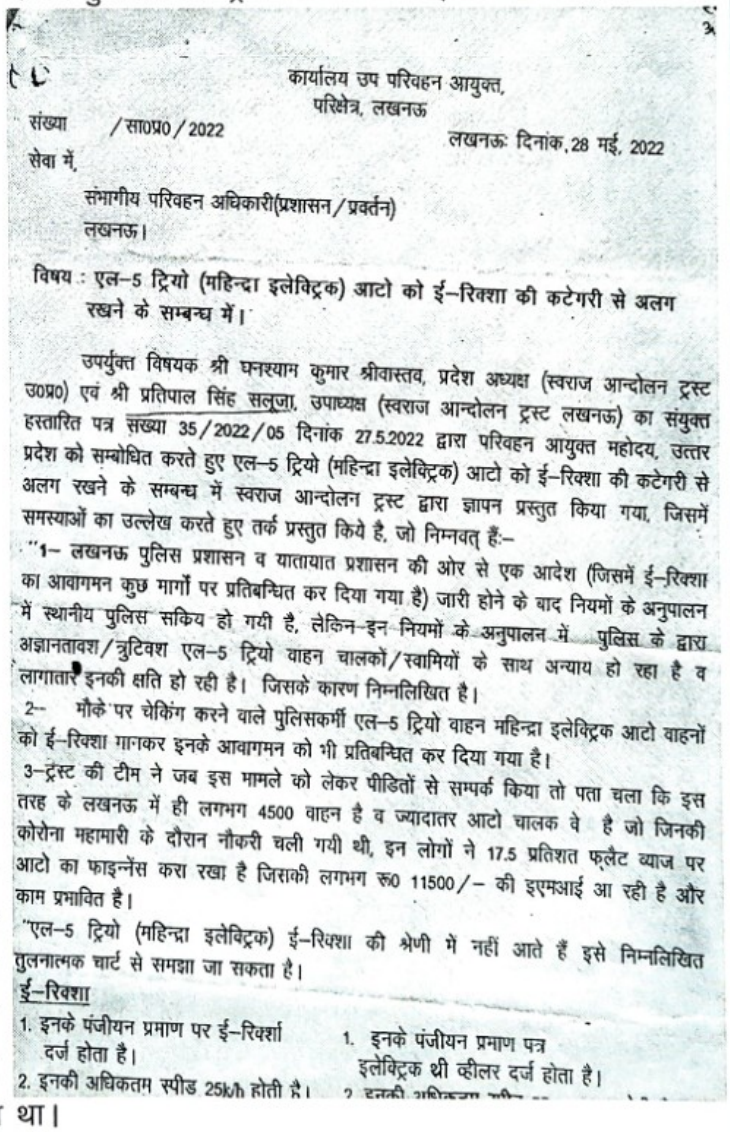
स्वराज की अवधारणा के आधार पर निम्नलिखित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आंदोलन

1. सरकार और समाज के बीच एक सेतु का कार्य करना।
2. भ्रष्टाचार से होने वाली हानियों से जन सामान्य को जागरूक करना व इसके समाप्ति के लिये आन्दोलन करना।
3. मुफ्तखोरी को हटाना व स्वावलम्बन को बढ़ावा देना।
4. सभी धर्मों के सार तत्व (अध्यात्म) को लेकर वास्तविक पंथ निरपेक्षता के प्रति समाज को जागरूक करना व सामाजिक समरसता स्थापित करना।
5. राजनैतिक कार्यकर्ताओं को स्वराज दिलाना।

स्वराज आन्दोलन ट्रस्ट के द्वारा अभी तक किये गये आन्दोलनों का विवरण

1. L-5 ट्रियो (महिन्द्रा इलेक्ट्रिक) आटो को ई–रिक्शा की कैटेगरी से अलग रखने के विषय में।

मार्च–2022 में लखनऊ पुलिस प्रशासन व यातायात प्रशासन की ओर से एक आदेश जारी कर कुछ मार्गों पर ई–रिक्शा का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया था, जो कि समुचित यातायात के लिये उपयुक्त निर्णय था लेकिन एक नई समस्या यह थी कि चेकिंग के दौरान पुलिस **L-5** ट्रियो आटो को भी ई–रिक्शा की ही श्रेणी में मानकर इनको भी उन मार्गों पर चलने से रोक रही थी जो कि केवल ई–रिक्शा के लिये प्रतिबंधित किये गये थे। ये परेशान लोग ट्रस्ट के पदाधिकारियों के माध्यम से मुझसे मिलकर अपनी समस्या बताई इनमें से अधिकर आटो चालक उच्च शिक्षित बेरोजगार थे कुछ की नौकरी कोरोना में चली गयी थी ब्याज पर आटो खरीदा था जिसकी **EMI** रू0 **13000** के आस पास थी इन वाहनों की संख्या मात्र लखनऊ मे ही **4500** के आस–पास थी, पूरे प्रदेश में तो इनकी संख्या और ज्यादा होगी। जब मैने इनके पेपर्स देखे तो पता चला कि ये लोग कानूनी रूप से सही है और पुलिस के द्वारा जो ज्यादती इनके साथ हो रही है उसका मुख्य कारण अज्ञानता है। 27 मई 2022 को मैं ट्रस्ट के पदाधिकारियों व पीड़ित पक्ष के साथ श्रीमान परिवहन आयुक्त महोदय जी से मिला उन्होंने मुझे उप परिवहन आयुक्त के पास भेजा वो बेहद नेक दिल व संवेदनशील अधिकारी थे उन्होंने ट्रस्ट के द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन को पढ़ा और तुरन्त कार्यवाही के आदेश दिये। लगभग दो घंटे के बाद उसी दिन वाहन की फिटनेस की जांच हुई और पीड़ितों के पक्ष में परिवहन आयुक्त के कार्यालय से आदेश जारी हो गया था।



कार्यालय उप परिवहन आयुक्त,
परिक्षेत्र, लखनऊ

संख्या /सा0प्र0/2022 लखनऊः दिनांक, 28 मई, 2022

सेवा में,

संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन/प्रवर्तन)
लखनऊ।

विषय : एल–5 ट्रियो (महिन्द्रा इलेक्ट्रिक) आटो को ई–रिक्शा की कटेगरी से अलग रखने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक श्री घनश्याम कुमार श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष (स्वराज आन्दोलन ट्रस्ट उ0प्र0) एवं श्री प्रतिपाल सिंह सलूजा, उपाध्यक्ष (स्वराज आन्दोलन ट्रस्ट लखनऊ) का संयुक्त हस्तारित पत्र संख्या 35/2022/05 दिनांक 27.5.2022 द्वारा परिवहन आयुक्त महोदय, उत्तर प्रदेश को सम्बोधित करते हुए एल–5 ट्रियो (महिन्द्रा इलेक्ट्रिक) आटो को ई–रिक्शा की कटेगरी से अलग रखने के सम्बन्ध में स्वराज आन्दोलन ट्रस्ट द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें समस्याओं का उल्लेख करते हुए तर्क प्रस्तुत किये है, जो निम्नवत् हैः–

"1– लखनऊ पुलिस प्रशासन व यातायात प्रशासन की ओर से एक आदेश (जिसमें ई–रिक्शा का आवागमन कुछ मार्गो पर प्रतिबन्धित कर दिया गया है) जारी होने के बाद नियमों के अनुपालन में स्थानीय पुलिस सकिय हो गयी है, लेकिन–इन नियमों के अनुपालन में पुलिस के द्वारा अज्ञानतावश/त्रुटिवश एल–5 ट्रियो वाहन चालकों/स्वामियों के साथ अन्याय हो रहा है व लागातार इनकी क्षति हो रही है। जिसके कारण निम्नलिखित है।

2– मौके पर चेकिंग करने वाले पुलिसकर्मी एल–5 ट्रियो वाहन महिन्द्रा इलेक्ट्रिक आटो वाहनों को ई–रिक्शा मानकर इनके आवागमन को भी प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

3–ट्रस्ट की टीम ने जब इस मामले को लेकर पीडितों से सम्पर्क किया तो पता चला कि इस तरह के लखनऊ में ही लगभग 4500 वाहन है व ज्यादातर आटो चालक वे है जो जिनकी कोरोना महामारी के दौरान नौकरी चली गयी थी, इन लोगों ने 17.5 प्रतिशत फ्लैट ब्याज पर आटो का फाइन्नेंस करा रखा है जिसकी लगभग रू0 11500/– की इएमआई आ रही है और काम प्रभावित है।

"एल–5 ट्रियो (महिन्द्रा इलेक्ट्रिक) ई–रिक्शा की श्रेणी में नहीं आते हैं इसे निम्नलिखित तुलनात्मक चार्ट से समझा जा सकता है।

ई–रिक्शा	
1. इनके पंजीयन प्रमाण पर ई–रिक्शा दर्ज होता है।	1. इनके पंजीयन प्रमाण पत्र इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर दर्ज होता है।
2. इनकी अधिकतम स्पीड 25k/h होती है।	2. इनकी अधिकतम [illegible]

परिणाम– इसका परिणाम अत्यंत सुखद रहा, श्रीमान परिवहन आयुक्त के कार्यालय से जो आदेश जारी हुआ वह स्वराज आन्दोलन ट्रस्ट के ज्ञापन का उल्लेख करते हुए जारी हुआ था यह ट्रस्ट के लिये गर्व की बात है।

2. वर्ष–2020 में लाकडाउन के दौरान प्राइवेट स्कूलों को फीस में छूट देने के लिये आन्दोलन

लाकडाउन के कारण स्कूलों में पढ़ाई आनलाइन हो रही थी, स्कूल प्रबंधन फीस कम नही कर रहा था तब ट्रस्ट की ओर से सैकड़ों स्कूलों को ज्ञापन/पत्र लिखकर फीस में रियायत देने की मांग की गयी थी, ट्रस्ट ने लखनऊ के मंडलायुक्त से मिलकर उन्हें ज्ञापन भी सौंपा था क्योंकि नये अध्यादेश (2017) में फीस निर्धारण के अधिकार मंडलायुक्त के पास है। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कई स्कूलों के प्रबंध तंत्र से व्यक्तिगत मुलाकात भी की थी। लाकडाउन में धरना–प्रदर्शन संभव नही था।

परिणाम– परिणामस्वरूप लखनऊ के कुछ नामी स्कूलों ने फीस में 20 प्रतिशत की छूट छात्रों को प्रदान की थी।

3. बिना पूर्व सूचना के अचानक नीट में लागू अपर एज लिमिट का विरोध

अखबारों में छपी खबरों का विवरण
दैनिक जागरण लखनऊ पृष्ठ–4
दिनांक 29 मई 2022

प्रतिबंधित मार्गों पर इलेक्ट्रिक थ्री–व्हीलर बन सकते हैं विकल्प

जासं, लखनऊ : ई-रिक्शा के लिए प्रतिबंधित किए गए शहर के दस मार्गों पर इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर आटो टाइप चलाने का एक विकल्प दिया गया है। इस संबंध में एक ज्ञापन स्वराज आंदोलन ट्रस्ट की ओर से परिवहन आयुक्त को सौंपा गया है। परिवहन आयुक्त धीरज साहू को दिए गए इस ज्ञापन में ई-रिक्शा से इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर वाहन को अलग श्रेणी में रखते हुए प्रतिबंधित रूटों पर संचालन की अनुमति मांगी गई है। इसे लेकर परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर की जांच कराई है। आरआइ ने जांच रिपोर्ट उप परिवहन आयुक्त निर्मल प्रसाद को सौंपी है। इसमें ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर वाहन के बीच क्या फर्क है? इस विषय पर आरटीओ से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है।

04 हजार 500 थ्री व्हीलर वाहनों का हुआ पंजीयन

ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के बीच अंतर

- इनके पंजीयन प्रमाण पत्र पर ई रिक्शा दर्ज होता है।
- इनकी अधिकतम रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा होती है।
- इसका बाजार मूल्य सवा लाख के आसपास है

इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर

- इनके पंजीयन प्रमाण पत्र में इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर दर्ज होगा।
- इनकी अधिकतम रफ्तार 55 से 60 किमी. प्रति घंटा होगी।
- बाजार में इसका मूल्य करीब सवा तीन लाख रुपये है।

फरवरी–2017 में केन्द्र सरकार ने **NEET-UG** की प्रवेश परीक्षा में अचानक अपर ऐज लिमिट लागू करने की घोषणा कर दी थी, इस समय नीट की प्रवेश परीक्षा में लगभग 13 लाख छात्र बैठ रहे थे जिसमें लगभग 30 प्रतिशत (4 लाख) छात्र नये नियम के कारण नीट की प्रवेश परीक्षा में बैठने से वंचित हो रहे थे, अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश था लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, झांसी उ0 प्र0 के लगभग सभी बड़े शहरों व कोटा तक के प्रभावित छात्र आकर मुझसे लगातार मिल रहे थे और इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए "स्वराज आन्दोलन ट्रस्ट" की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे थे। ट्रस्ट ने छात्रों की परेशानी को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री व मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पत्र लिखकर इस मुद्दे को मीडिया में उठाया, लेकिन जैसा कि संभावित था इससे कोई लाभ नही हुआ था। बाद में ट्रस्ट ने प्रभावित छात्रों को वादी बनाकर माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ में मुकदमा दायर करवाया था।

जिसका परिणाम अत्यंत सुखद रहा माननीय न्यायालय की डबल बेंच ने छात्रों के पक्ष को कानूनी तौर पर सही ठहराया लेकिन अपर एज लिमिट को हटाने का फैसला नही दिया था, क्योंकि समान मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। (क्योंकि उसी दौरान कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गये थे।)

अखबारों में छपी खबरों का विवरण

द टाइम्स ऑफ इण्डिया, लखनऊ, पेज 6 बुधवार, मार्च 22, 2017

Govt response irks NEET aspirants

TIMES NEWS NETWORK

Lucknow: A Central government official going on record to say that the "provision of absence of upper age limit is misused by unscrupulous elements, impersonators and candidates belonging to higher age group" with respect to the legal battle around NEET has not gone down well with the medical aspirants from the city.

Already in court to get the age cap of 25 years and the limit of three attempts in NEET scrapped, the aspirants have now written to the Prime Minister objecting to the said lines.

To the reply presented in court by the under secretary of the ministry of health and family welfare, the group has sought the PM's intervention, asking for strict action against the official within 15 days, following which the group has threatened to go on a mass protest and spread the official's response by way of posters.

"The words unscrupulous and impersonators used for the general category aspirants is an insult to the 45% general population. We are students who are putting in meagre amounts of funds together to fight the case and then government officials



use such derogatory remanrks against us. The official should be suspended immediately and a defamation suit filed against him," said Ghanshyam Srivastava, a member of the agitating group. The group going by the name of Swaraj Andolan Trust has close to 40,000 medical aspirants of which 184 had filed a petition in Lucknow bench of the Allahabad high court against the new rules for NEET 2017.

In his response, the official also said that capping the age limit at 25 years gives a reasonable span of eight years to appear in NEET. "When the matter is in court and we are bona fide students, how can the official insult us? If it is a generalised statement, then it is derogatory for the entire population and an action is must," said Ghanshyam.

नवभारत टाइम्स लखनऊ बुधवार 8 फरवरी 2017

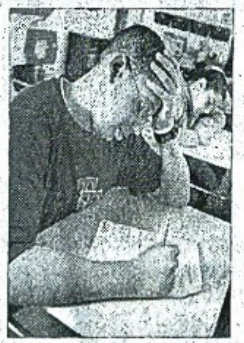
नीट के बदले नियम बीते साल नहीं था अधिकतम उम्र सीमा का प्रावधान, MCI की भी गाइडलाइंस में भी नहीं है उम्र सीमा का नियम

अचानक तय कर दी उम्र सीमा, अभ्यर्थी परेशान

Rohit.Mishra1@timesgroup.com

लखनऊ : तीन दिन पहले एमबीबीएस और बीडीएस समेत अन्य चिकित्सा शिक्षा कोर्सों में दाखिले के लिए नैशनल इलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट-यूजी) में आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई। इसके साथ ही पिछले कुछ साल से मेडिकल शिक्षा में दाखिले की तमन्ना रखने वाले तमाम अभ्यर्थियों के सपने चूर हो गए। कारण यह कि इसमें आवेदन करने वालों की उम्रसीमा तय कर दी गई। जबकि पिछले साल नीट के आवेदन के लिए कोई उम्र सीमा नहीं थी। नीट से पहले यूपी में चिकित्सा शिक्षा कोर्सों के दाखिले के लिए होने वाली तमाम परीक्षाओं के लिए भी जो इम्तिहान होते थे, उनमें भी अधिकतम उम्र सीमा नहीं थी।

बीते साल ही स्टेट पीएमटी का ही प्रावधान खत्म किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तब आदेश दिया था कि नीट के तहत



ही प्रवेश लिए जाएंगे। नीट में एमबीबीएस और बीडीएस की 85% सीटें स्टेट कोटे की हैं। नीट की मेरिट के आधार पर ही अभ्यर्थियों को इसमें दाखिला मिलना है। बीते साल जब नीट के तहत प्रवेश हुए थे तो अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा की कहीं कोई बात नहीं थी। इस नए प्रावधान का झटका उन अभ्यर्थियों को लगा है जो इसकी तैयारी लंबे समय से कर रहे थे और उनकी उम्र इससे ज्यादा गुजर चुकी है।

स्वराज आंदोलन ट्रस्ट के अध्यक्ष घनश्याम श्रीवास्तव कहते हैं कि यह एज लिमिट क्यों है, जबकि सीबीएसई को इस लिमिट को तय करने का अधिकार नहीं है। सीबीएसई केवल एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, नीति तैयार करने वाली बॉडी नहीं। घनश्याम ने सीबीएसई और एमसीआई (मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) को इसकी आपत्ति जताते हुए पत्र लिखा है। वहीं परीक्षा फॉर्म भरने से बाहर कर दिए गए अभ्यर्थियों का सवाल है कि यह नियम अचानक क्यों? एक साल से जो लोग घर रहकर तैयारी कर रहे थे, उन्हें पहले ही बता दिया जाना था ताकि वे तैयारी ही न करते।

एम्स और जिपमर में नहीं है उम्र सीमा

देश में एमबीबीएस और बीडीएस में प्रवेश के लिए पहली दो परीक्षाएं एम्स (AIIMS) और जिपमर (JIPMER) आयोजित होती हैं। इन दोनों परीक्षाओं में भी अब तक अधिकतम उम्रसीमा की कोई बात नहीं है। ऐसे में नीट (यूजी) में अधिकतम उम्र सीमा लगाए जाने पर सवाल उठ रहे हैं।

चमकेगा कोचिंग संचालकों का बिजनेस

घनश्याम श्रीवास्तव का आरोप है कि इससे कोचिंग संचालकों का बिजनेस और चमकेगा। ऐसा लगता है कि यह फैसला उन्हीं के लिए लिया गया है। जब उम्रसीमा और आवेदन की संख्या तय कर दी जाएगी तो लोग ज्यादा संख्या में कोचिंग करेंगे।

ये नियम बदले

- सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 25 साल जबकि एससी/एसटी/ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए 30 साल अधिकतम उम्र सीमा।
- प्रत्येक अभ्यर्थियों को नीट (यूजी) में केवल तीन ही अवसर।

सीबीएसई ने कुछ सोच समझकर ही यह किया होगा। निर्णय से पहले एक्सपर्ट्स से राय ली गई होगी। आईआईटी समेत कई इम्तिहानों में अपर एज लिमिट होती है। इसका मकसद कोचिंग संस्थानों को हतोत्साहित करना भी हो सकता है।- डॉ वेपन तिपाठी, डीजीएमई

दैनिक जागरण लखनऊ, पृष्ठ–4, दिनांक 10 फरवरी 2017

मायूसी आयु सीमा व अवसरों को निर्धारित करने से अभ्यर्थियों को लगा झटका, एमसीआइ को लिखा खत

नीट के नए नियम से डेढ़ लाख अभ्यर्थी 'आउट'

संदीप पांडेय • लखनऊ 10/2/17 Page 4 दैनिक

नेशनल इलिजबिलिटी इंट्रेस टेस्ट (नीट) के नए नियम ने तमाम छात्रों को झटका दे दिया। वर्षों से मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों में उम्र की अर्हता बाधा बन गई। ऐसे में परीक्षा में बैठने से पहले ही करीब डेढ़ लाख अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं।

राज्य में वर्ष 2016 से एमबीबीएस-बीडीएस प्रवेश परीक्षा को नीट के दायरे में लाया गया है। गत वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर हुई प्रवेश परीक्षा राज्य में दो चरणों में हुई। वहीं इसमें उम्र व अवसर की कोई बाध्यता नहीं थी। मगर परीक्षा आयोजक सीबीएसई के 31 जनवरी 2017 को जारी नोटीफिकेशन ने वर्षों से तैयारी कर रहे तमाम छात्रों को झटका दे दिया।

इस बार एमबीबीएस व बीडीएस प्रवेश परीक्षा में आयु सीमा व अवसरों को निर्धारित कर दिया गया है। इसमें सामान्य वर्ग की अधिकतम उम्र सीमा 25 वर्ष व आरक्षित वर्ग की 30 वर्ष तय की गई है। ऐसे में छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने स्वराज आंदोलन ट्रस्ट के बैनर तले आंदोलन करने की रणनीति बनाई है। गौरतलब है सात मई को नीट परीक्षा होनी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू है।

18 फीसद उम्र के पार

वर्ष 2015 तक राज्य में एमबीबीएस-बीडीएस का दाखिला सीपीएमटी के तहत होता रहा। ऐसे में वर्ष 2013 में जहां 65 हजार, 2014 में 79 हजार, 2015 में 92 हजार के करीब अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वहीं 2016 में नीट परीक्षा



में आठ लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। स्वराज आंदोलन के अध्यक्ष घनश्याम श्रीवास्तव ने कहा कि उम्र सीमा तय होने से देश में करीब 18 फीसद तैयारी कर रहे छात्र आवेदन नहीं कर सकेंगे। लिहाजा वर्षों पढ़ाई करने के बाद करीब डेढ़ लाख छात्र परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। एक नियम से इतनी भारी संख्या में तैयारी कर रहे अभ्यर्थी परीक्षा से अचानक बाहर हो गए। नोटिफिकेशन के पता चलने पर इनके बीच खासा रोष व्याप्त है। उन्होंने इसका विरोध करने के लिए कमर कस ली है। वे इसके लिए नियम का हवाला भी दे रहे हैं।

छात्र नवनीत त्रिपाठी, गुलाम नबी, संदीप वर्मा, इंद्रेश कुमार व सुधीर सिंह आदि ने छह फरवरी को एमसीआइ को पत्र लिखकर आयु सीमा खत्म करने का अनुरोध किया। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ नीट के तहत प्रवेश का निर्देश दिया था, उसकी अर्हताएं बदलने का नहीं। उन्होंने कहा कि सीबीएसइ को उम्र निर्धारण का कोई अधिकार नहीं है, वहीं एमसीआइ के बाइलॉज में भी इसका जिक्र नहीं है।

डॉक्टर बनने का सपना टूटा



बस्ती निवासी नवनीत चौधरी लखनऊ में रहकर छह वर्ष से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। इस बार उनका हरहाल में परीक्षा बीट करने का प्लान था। मगर 31 वर्ष उम्र के चलते वह आवेदन के पात्र ही नहीं रह गए।



फैजाबाद निवासी रीतेश भी पांच वर्ष से कोचिंग कर रहे हैं। गत वर्ष वह कुछ ही अंक से रैंकिंग से बाहर हो गए। वहीं इस बार पूरे साल मन लगाकर तैयारी की। मगर सामान्य वर्ग के चलते उनकी आयु 26 वर्ष दायरे के बाहर हो गई।



आजमगढ़ निवासी मो. अब्जुर अंसारी भी राजधानी में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें छह वर्ष तैयारी करते हो गए। लाखों रुपए पढ़ाई पर खर्च करने के बाद 31 वर्ष उम्र इस बार प्रवेश परीक्षा में बैठने में अड़चन बन गई।



बलरामपुर निवासी नवनीत त्रिपाठी भी लखनऊ में कोचिंग कर रहे हैं। डॉक्टर बनना ही उनका सपना था। इसलिए छह वर्ष से तैयारी कर रहे थे। वहीं सामान्य श्रेणी वर्ग में 25 वर्ष आयु की बाध्यता ने उनके सपने पर भी पानी फेर दिया। उनकी उम्र 26 पार हो चुकी है।

परिणाम : इसका परिणाम अत्यंत सुखद रहा, देश में पहली बार **MBBD/BDS** प्रवेश परीक्षा के फार्म भरने की अंतिम तिथि गुजर जाने के बाद दोबारा आनलाइन पोर्टल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से खोला गया था, केवल लखनऊ में अपर एज लिमिट के हजारों छात्रो ने आवेदन किया था, लखनऊ में इन सबका परीक्षा केन्द्र भी एक ही था। नतीजे आने पर कई अभ्यर्थियो का चयन सरकारी कालेजों में **MBBS /BDS** कोर्सेज के लिये हुआ जिनमें से 16 छात्रों को तो मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जो बाद में आभार व्यक्त करने मेरे पास आये थे।

इस मामले में प्रभावित छात्रों के पक्ष में पहला फैसला लखनऊ उच्च न्यायालय की खंडपीठ के डबल बेंच से आया था जो ट्रस्ट की पैरवी पर दायर किया गया था, बाद में इसी के आधार पर अन्य प्रदेशों के उच्च न्यायालयों से फैसला हुआ था।

इस संघर्ष में न्यायालय में जो खर्च हुआ उसमें मुझे बड़ी राहत मिली क्योंकि इस खर्च में हजरतगंज में नीट के अध्यापकों ने आगे बढ़कर सहयोग दिया था।

4. उत्तर प्रदेश के सामान्य वर्ग के लोगों को उ0 प्र0 के बाहर अध्ययन के लिये फीस प्रतिपूर्ति दिलाने के लिये आन्दोलन।

01 मई 2016 को तत्कालीन सपा सरकार ने फीस प्रतिपूर्ति को लेकर एक संशोधित नियमावली जारी की थी, जिसमें सामान्य वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश से बाहर सरकारी व गैर सरकारी संस्थान में दाखिला लेने पर शुल्क प्रतिपूर्ति न देने का निर्णय लिया गया था।

अखबारों में छपी खबरों का विवरण

पृष्ठ 14, दैनिक जागरण
लखनऊ 24 जून 2017

पृष्ठ 4, दैनिक जागरण
लखनऊ 17 मई 2016



यूपी से बाहर पढ़ रहे सामान्य वर्ग के छात्रों को बड़ी राहत

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के मूल निवासी सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों को बड़ी राहत देते हुए यह फैसला किया है कि चालू शैक्षिक सत्र से यदि वे देश के दूसरे राज्यों के सरकारी और शासकीय सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करेंगे तो उन्हें दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ मिलेगा। सरकार ने यह फैसला करते हुए उप सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली, 2012 में संशोधन कर दिया है।

इस नियमावली के तहत समाज कल्याण विभाग दसवीं कक्षा से आगे की पढ़ाई करने वाले सामान्य वर्ग के उन छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ देता है जिनके परिवार की सालाना आय दो लाख रुपये या उससे कम होती है। अखिलेश सरकार ने वर्ष 2015-16 व 2016-17 में दूसरे राज्यों में पढ़ने वाले उप के सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों को दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति न करने का निर्णय लिया था। नियमावली के तहत सत्र 2017-18 से किसी कोर्स में पंजीकृत सामान्य वर्ग के छात्रों को योजना का लाभ तभी मिलेगा, जब कक्षा में उनकी उपस्थिति कम से कम 75 फीसद हो। समाज कल्याण विभाग शैक्षिक सत्र 2017-18 से निजी कॉलेजों द्वारा संचालित पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट कोर्स में दाखिला लेने वाले सामान्य वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का लाभ नहीं देगा। सरकार ने तय किया है कि जो निजी कॉलेज ऐसा कोर्स संचालित कर रहे हैं जिससे किसी

अब 15 जुलाई तक मान्यता पाने वाले कॉलेजों को लाभ

संशोधित नियमावली में यह भी प्रावधान किया गया है कि 15 जुलाई तक मान्यता पाने वाले कॉलेजों को भी उसी शैक्षिक सत्र में दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत मास्टर डाटा में शामिल करते हुए उनके सामान्य वर्ग के छात्रों को शुल्क प्रतिपूर्ति की जाएगी। अभी तक 30 जून तक मान्यता पाने वाले कॉलेजों के छात्रों को ही जुलाई से शुरू होने वाले शैक्षिक सत्र में शुल्क प्रतिपूर्ति का लाभ मिलता था।

विश्वविद्यालय या संबद्धता देने वाली संस्था या किसी सरकारी विभाग की ओर से मान्यता नहीं दी गई है, तो उस कोर्स में दाखिला लेने वाले सामान्य श्रेणी के छात्रों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। वर्ष 2016-17 में योजना के तहत आवेदन करने वाले सामान्य श्रेणी के ऐसे छात्र जो छात्रवृत्ति नहीं पा सके, उनके मामले में विचार करने के प्रमुख सचिव समाज कल्याण की अध्यक्षत में कमेटी गठित की गई है।

सौंपा ज्ञापन

जागरण संवाददाता, लखनऊ : सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को शुल्क प्रतिपूर्ति न किए जाने के विरोध में स्वराज आंदोलन ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने समाज कल्याण विभाग के निदेशक को ज्ञापन सौंपा। स्वराज आंदोलन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनश्याम श्रीवास्तव ने कहा कि नई संशोधित नियमावली जिसे एक मई 2016 से लागू किया गया इसमें सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है।

उन्होंने कहा कि आखिर सामान्य वर्ग के पात्र विद्यार्थियों को उत्तर प्रदेश से बाहर सरकारी व गैर सरकारी संस्थान में दाखिला लेने पर शुल्क प्रतिपूर्ति न देने का निर्णय क्यों किया गया जबकि अन्य सभी वर्गों के विद्यार्थियों को यह सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के साथ अन्याय है और अगर इसे शीघ्र वापस न लिया गया तो फिर आंदोलन किया जाएगा।

इसे लेकर सामान्य वर्ग के तमाम गरीब छात्रों ने स्वराज आन्दोलन ट्रस्ट से सम्पर्क किया था और इस नई नियमावली को समाप्त करने के लिये सरकार के विरूद्ध संघर्ष करने के लिये निवेदन किया था। इस मामले को लेकर ट्रस्ट ने 17 मई 2016 को समाज कल्याण विभाग के निदेशक को एक ज्ञापन/मांगपत्र सौंपा था।

ज्ञापन सौंपने के बाद ट्रस्ट के पदाधिकारी लगातार पैरवी में लगे रहे और अंत में इस मामले पर विचार करने के लिए प्रमुख सचिव समाज कल्याण की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी थी।

परिणाम – इसका परिणाम अत्यंत सुखद रहा और जून–2017 में योगी सरकार ने पहले की संशोधित नियमावली में पुनः संशोधन कर यूपी से बाहर पढ़ रहे सामान्य वर्ग के छात्रों को पूर्व में मिल रही फीस प्रतिपूर्ति को दोबारा बहाल कर दिया था।

5. वर्ष–2016 में उ0 प्र0 में नीट को लागू करवाने के लिये आंदोलन

17 मई 2016 को यूपीसीएमटी की परीक्षा होनी थी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इसे निरस्त कर दिया गया था। राज्य सरकारें अपने–अपने प्रदेशों में **MBBS/BBDS** की सीटें चाहे नीट परीक्षा की मेरिट से भरे या अलग से परीक्षा आयोजित करवाये यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों पर छोड़ दिया था। ज्यादातर राज्यों ने नीट के पक्ष में जाने का फैसला ले लिया था, लेकिन उ0प्र0 सरकार भ्रम की स्थिति में थी कोई फैसला ही नही ले रही थी। छात्र/छात्रायें वर्ष–2015 में सम्पन्न हुई **CPMT** परीक्षा में हुई धांधली से बेहद आक्रोशित व क्षुब्ध थे।

अखबारों में छपी खबरों का विवरण

नवभारत टाइम्स लखनऊ, पेज नं0 8 मंगलवार 31 मई 2016

पांच दिन बाद भी नीट पर असमंजस

यूपी सरकार ने नहीं किया फैसला, आवेदन शुरू

■ प्रसं, लखनऊ

यूपी में एमबीबीएस और बीडीएस की सीटें नैशनल इलिजबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) के जरिए भरी जाएंगी या फिर सीपीएमटी की परीक्षा नए सिरे से होगी। इस पर यूपी के छात्रों में असमंजस है। राज्य सरकार द्वारा फैसले में देरी से छात्रों की मुसीबत बढ़ने लगी है, क्योंकि नीट-2 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। अब छात्र दुविधा में हैं कि वे सीपीएमटी का इंतजार करें या नीट-2 के लिए आवेदन करें।

नीट-2 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू

दरअसल, यूपी को छोड़कर ज्यादा हिन्दी भाषी प्रदेशों ने नीट के जरिए एमबीबीएस और बीडीएस की सीट भरे जाने का फैसला किया है। यूपी में भी नीट के जरिए सीटें भरे जाने की पैरवी करते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेज दिया है। मगर 5 दिन से ज्यादा बीत जाने के बाद भी मुख्यमंत्री कार्यालय इस पर कोई निर्णय नहीं ले पाया है।

नीट के समर्थन में मार्च निकाला



■ एनबीटी, लखनऊ : नीट के समर्थन में स्वराज आंदोलन ट्रस्ट की ओर से एक हजार से ज्यादा छात्रों ने सोमवार को मार्च निकाला। स्वराज आंदोलन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनश्याम श्रीवास्तव ने बताया कि 2015 में नीट की सीट बेच दी गई थी, इस बार भी शासन स्तर पर उच्च पदों पर बैठे लोग ऐसा करने में लगे हुए हैं। उन्होंने बताया कि मार्च जब जीपीओ से हजरतगंज के लिए निकाला गया तो पुलिस ने बलपूर्वक उन्हें रोक दिया। इसके बाद लोगों ने मार्च को सिकंदरबाग चौराहे की ओर मोड़ दिया।

फीस वापसी की प्रक्रिया भी रुकी

पहले 17 मई को सीपीएमटी की परीक्षा होनी थी। मगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे कैंसल कर दिया गया। सरकार की ओर से कोई फैसला न आने पर शासन ने सीपीएमटी का फॉर्म भरने वाले करीब 1.5 लाख छात्र-छात्राओं की फीस वापसी की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है।

यूपी सरकार नीट परीक्षा के पक्ष में जाये इसके लिये छात्र–छात्राओं के निवेदन पर स्वराज–आन्दोलन ट्रस्ट ने व्यापक स्तर पर आन्दोलन किया था।

परिणाम – ट्रस्ट के द्वारा आयोजित नीट–मार्च में हजारों छात्रों ने भाग लिया था, परिणाम स्वरूप यूपी सरकार को छात्रों की मांग माननी पड़ी। आन्दोलन ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया था।

6. ई–रिक्शा चालकों का रजिस्ट्रेशन शुल्क कम कराने के लिये आन्दोलन

नवम्बर –2016 में लखनऊ के अखबार ई–रिक्शा की खबर से भरे हुये थे। मेरे कुछ मित्रों ने इनकी समस्या को समझकर इसका हल निकालने के लिये मुझसे कहा था। जब मैं ग्राउंड पर उतरकर लोगों से मिलना शुरू किया तो ई–रिक्शा वाले यही बताते थे कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन शुल्क रू **3200/-** से बढ़कर लगभग रू 40,000 हो गया है, हम लोग

पुराने आटो-टेंपो जमा कर सकेंगे वार्षिक टैक्स

- पांच वर्ष से ज्यादा पुराने वाहनों को मिलेगा विकल्प
- एकमुश्त टैक्स जमा कराने के प्रावधान से राहत

जागरण संवाददाता, लखनऊ : पांच साल या उससे ज्यादा पुराने आटो-टेंपो अब वार्षिक टैक्स भी जमा कर सकेंगे। इस संबंध में आदेश जारी हो गए हैं। इससे सैकड़ों आटो-टेंपो चालकों ने राहत की सांस ली है। विभिन्न संगठनों द्वारा की जा रही मांग के बाद इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा गया था।

परिवहन आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक पांच साल या उससे ज्यादा पुराने वाहन के स्वामी ऐच्छिक तौर पर एकमुश्त या वार्षिक टैक्स जमा कर सकते हैं। दरअसल पिछले दिनों आटो-टेंपो के लिए एकमुश्त टैक्स प्रणाली लागू कर दी गई थी। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद वह वाहन स्वामी परेशान थे, जिनके वाहन पुराने हो चुके हैं। रिप्लेसमेंट या फिर एनओसी के लिए भी उन्हें बहुत टैक्स जमा करना पड़ रहा था। इसी समस्या को देखते हुए परिवहन आयुक्त ने शासन को प्रस्ताव भेजा था। शासन से स्वीकृत मिलने के बाद अब वार्षिक टैक्स जमा कराने का विकल्प वाहन स्वामियों को मिल गया है।



पंजीकरण कराने में असमर्थ है और पुलिस हम लोगों को परेशान कर रही है। परिवहन अधिकारियों से मिलने पर सच्चाई पता चली, ई–रिक्शा का पंजीकरण शुल्क नही बढ़ा था हुआ यह था कि पहले थ्री व्हीलर (आटो/टेम्पो) के पंजीकरण के दो विकल्प थे वार्षिक और एक मुश्त (जो कि 9 वर्षों का एक साथ होता था) सरकार ने राजस्व बढ़ाने के लिये वार्षिक विकल्प को समाप्त कर दिया था अब पंजीकरण के लिये नौ वर्षों का शुल्क एक साथ लिया जाता था जोकि बहुत ज्यादा था। ई–रिक्शा के लिये यह नियम अव्यवहारिक था क्योंकि ई–रिक्शा की औसत उम्र ही 2–3 साल की होती थी।

ई–रिक्शा चालकों/स्वामियों को राहत दिलाने के लिये परिवहन आयुक्त को ज्ञापन देने के साथ धरना, प्रदर्शन व थाने का घेराव भी करना पड़ा था। यह संघर्ष काफी लम्बा चला था। तत्कालीन परिवहन आयुक्त श्री रवीन्द्र नायक ने मेरे ज्ञापन पर पंजीकरण शुल्क के सरलीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा था, यह हमारे आन्दोलन की एक बड़ी उपलब्धि थी।

अखबारों में छपी खबरों का विवरण

सपना

ई-रिक्शा चालकों ने घेरा सआदतगंज थाना

जागरण संवाददाता, लखनऊ : आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में ई रिक्शा चालकों ने रविवार को सआदतगंज थाने का घेराव किया। ई रिक्शा चालकों ने प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप भी लगाया।

आम आदमी पार्टी के ई-रिक्शा कमेटी के अध्यक्ष घनश्याम श्रीवास्तव ने बताया कि 19 नवंबर को परिवहन आयुक्त ने आश्वासन दिया था कि ई-रिक्शा पंजीकरण एकमुश्त की जगह वार्षिक शुल्क लेकर किया जाएगा। जिससे गरीब ई-रिक्शा चालक अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। परिवहन आयुक्त ने इतने दिन बीतने के बावजूद अब तक इस आश्वासन पर कोई निर्णय ही नहीं लिया है। उधर दूसरी ओर यह आदेश जारी कर दिया गया है कि अवैध रूप से चल रहे करीब पांच हजार ई रिक्शा शहर से बाहर किए जाएंगे। गरीब ई रिक्शा चालकों से प्रतिदिन धन उगाही की शिकायतें मिल रही हैं। अवैध डीलर गरीब लोगों को ई रिक्शा बेचकर गायब हो रहे हैं और कार्रवाई का

◆ आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में किया प्रदर्शन

लर्निंग लाइसेंस हो तो ही खरीदें ई-रिक्शा

घड़ल्ले से दौड़ रहे ई-रिक्शा का पंजीकरण करने के लिए आरटीओ दफ्तर रविवार को भी खोला गया। रविवार को 19 लोगों ने ई-रिक्शा का पंजीकरण कराया। साथ ही अवैध रूप से चल रहे 350 ऑटो व टैपो के परमिट निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई। एआरटीओ प्रशासन ऋतु सिंह ने बताया कि ई-रिक्शा की खरीद से पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाना जरूरी है। बिना पंजीयन ई-रिक्शा बेच रहे डीलरों का ट्रेड सर्टिफिकेट के निलंबन या निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

शिकार यह निम्न तबका हो रहा है। पार्टी के जिला संयोजक गौरव गहलोत ने कहा कि यदि ई रिक्शा चालकों का उत्पीड़न बंद नहीं किया गया तो इसके लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा।

लाखों तक पहुँचाइए
अपनी बात

परिणाम – इस आन्दोलन का परिणाम अत्यंत सुखद रहा हलांकि इस मामले में राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली थी वहाँ से शासनादेश को स्टे कर दिया था। बाद में शासन ने वार्षिक शुल्क को यह कहकर बहाल कर दिया था कि विभिन्न संगठनों द्वारा इसकी मांग की जा रही है, यह भी हमारे आन्दोलन की एक बड़ी उपलब्धि थी, जिससे उ0 प्र0 के डेढ़ लाख से अधिक ई–रिक्शा चालकों को राहत मिली थी।

7. **CPMT-2015** की परीक्षा में पेपर लीक व अनियमितता के विरूद्ध प्रदेशव्यापी आन्दोलन।

25 मई 2015 को गोरखपुर विश्वविद्यालय के द्वारा यह परीक्षा आयोजित करवायी गयी थी, परीक्षा के दिन ही एस टी एफ ने लगभग 10 लोगों को मूल पेपर के साथ पेड अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर भेजते हुए गिरफ्तार कर **FIR** दर्ज करवायी थी। स्पष्ट सुबूतों के बाद भी राज्य सरकार दोबारा परीक्षा करवाने के लिये तैयार नही थी। तब स्वराज आन्दोलन ट्रस्ट ने इस मुद्दे को लेकर व्यापक स्तर पर प्रदेशव्यापी आन्दोलन किया था।

अखबारों में छपी खबरों का विवरण

पृष्ठ 14, दैनिक जागरण लखनऊ, 17 जून 2015

14 | दैनिक जागरण लखनऊ, 17 जून 2015

सीपीएमटी के गुनहगारों को भूल गई एसटीएफ

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : यूपी कंबाइंड प्री-मेडिकल टेस्ट (सीपीएमटी) परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थियों ने पूरी व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है। स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) का दावा है कि पेपर लीक करने की कोशिश हुई थी, लेकिन इससे किसी को लाभ नहीं मिला। मुख्य सूत्रधार के अभी तक गिरफ्तार न किए जाने से कई सवाल अनुत्तरित है।

सीपीएमटी की परीक्षा के दिन सुबह राजधानी से एसटीएफ ने प्रफुल्ल चंद्र और डॉ. राजेश कुमार सिंह समेत एक दर्जन लोगों को नकल कराने की तैयारी करते समय गिरफ्तार किया था। तब पूछताछ में यह बात सामने आई कि राजधानी में रामेश्वरम इंस्टीट्यूट चलाने वाले सुरेंद्र शुक्ला ने यह प्रश्नपत्र उपलब्ध कराया है। अंदेशा है कि सुरेंद्र शुक्ला ने नकल माफिया के कई गिरोहों से संपर्क साधा था। उसके और भी कई सहयोगी एसटीएफ के रडार पर हैं, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी न होने से यही लगता है कि एसटीएफ सीपीएमटी के गुनहगारों को भूल गई है।

सीपीएमटी-2015 की आयोजक संस्था गोरखपुर विश्वविद्यालय ने परीक्षा की अनियमितता और धांधली को नकारते हुए सप्ताह भर पहले ही परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। इस वजह से अभ्यर्थियों में आक्रोश है। आरोप है कि प्रश्नपत्र परीक्षा से पूर्व लीक कराकर पहुंचाया गया और यहां से विभिन्न साल्वरों द्वारा इसे साल्व करके परीक्षार्थियों के पास मोबाइल फोन एवं रिसीवर और छाया प्रति के जरिये परीक्षा केंद्रों पर भेजा गया। इसके एवज में 15 से 20 लाख रुपये वसूल किए गए। सीपीएमटी परीक्षा की धांधली के



विफलता

◆ सुरेंद्र शुक्ला की नहीं हो सकी गिरफ्तारी

गुनहगार को तलाश जारी

पुलिस महानिरीक्षक सुजीत पांडेय का कहना है कि एसटीएफ की सतर्कता से ही प्रश्नपत्र लीक होने के बावजूद उसका किसी अभ्यर्थी को लाभ नहीं मिला। एक बड़ा गिरोह पकड़ा गया और अन्य सहयोगी चिह्नित कर लिए गए। हर गुनहगार के पीछे हमारी टीम लगी है और किसी को बख्शेंगे नहीं।

खिलाफ लड़ाई लड़ रहे स्वराज आंदोलन ट्रस्ट के घनश्याम श्रीवास्तव का कहना है कि सुरेंद्र शुक्ला अपनी पुत्री को गलत तरीके से डॉक्टर बनवाना चाहता था और उसने ही प्रश्नपत्र लीक कराए।

एसटीएफ को दो घंटे पहले ही मिल गई थी सूचना

सीपीएमटी परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि एआइपीएमटी में तो डेढ़ घंटे पहले प्रश्नपत्र लीक होने की बात सामने आने पर परीक्षा निरस्त कर दी गई जबकि सीपीएमटी में नकल माफिया को सवा दो घंटे पेपर मिल गया था। एसटीएफ को भी इसकी सूचना साढ़े आठ बजे मिल गई थी। एसटीएफ ने अपनी रिपोर्ट में साढ़े आठ बजे मुखबिर के जरिये सूचना मिलने का उल्लेख किया है।

दोबारा परीक्षा की मांग पर लामबंद हो रहे छात्र

◆ कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद व बनारस में अभियान

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा (यूपीसीपीएमटी) दोबारा कराने के लिए पूरे प्रदेश के छात्र एकजुट हो रहे हैं। इन छात्रों ने कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद व बनारस में अभियान शुरू करने के साथ पूरे परीक्षा प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

अखिल भारतीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा एआइपीएमटी रद होने और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे दोबारा कराने के आदेश से यूपीसीपीएमटी दोबारा कराने को लेकर अभियान चला रहे छात्र-छात्राएं भी खासे उत्साहित हैं। इस अभियान से जुड़े बलरामपुर के नवनीत त्रिपाठी, अंबेडकर नगर के गौरव पाण्डेय व हरदोई के विवेक सिंह मंगलवार को तमाम अन्य छात्र-छात्राओं के साथ लखनऊ आए और प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा व चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक को ज्ञापन भेजकर दोबारा परीक्षा कराने की मांग की। इन छात्रों का कहना था कि यूपीसीपीएमटी का पर्चा आउट कर उनके साथ अन्याय हुआ है और गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रबंधन मनमानी पर उतारू है। इसके लिए पूरे प्रदेश के छात्र एकजुट हैं। उच्च न्यायालय में तो मामला चल ही रहा है, वे लोग सर्वोच्च न्यायालय भी जा रहे हैं।

सीपीएमटी अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि पूरी परीक्षा की शुचिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने जिन परिस्थितियों में एआइपीएमटी रद करने के आदेश दिए हैं, सीपीएमटी की परिस्थितियां तो उससे भी गंभीर हैं। यहां पर्चा तो आउट हुआ ही था,

अभ्यर्थी मांग रहे जवाब

■ प्रश्नपत्रों को परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों से वापस क्यों जमा कराया गया? ■ चारों सीरीज के प्रश्नपत्र व उनके उत्तर सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? ■ परीक्षा में हुए आय व्यय क्यों नहीं सार्वजनिक किये गए? ■ ऐन परीक्षा के दिन क्यों बदला गया लखनऊ का एक परीक्षा केंद्र? ■ प्रश्नपत्र में 20 फीसदी से अधिक त्रुटियों को संज्ञान में क्यों नहीं लिया गया? ■ प्रश्नपत्र का पैटर्न व ज्यादातर उत्तरों का विकल्प एक ही क्यों था?

दागी अभ्यर्थियों को नकल कराने की भी पूरी तैयारी थी। यही कारण है कि परीक्षा से ऐन पहले लखनऊ के कैरियर कांवेट स्कूल परीक्षा केंद्र को बदल दिया गया।

परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों से प्रश्नपत्र वापस जमा कर लिए गए जबकि एआइपीएमटी व आइआइटी जेईई जैसी परीक्षाओं में भी अभ्यर्थियों को प्रश्नपत्र अपने साथ ले जाने की छूट होती है। चारों सीरीज के उत्तरों में भी एक पैटर्न साफ दिखता है। एक सेट में तो अधिकांश उत्तरों का विकल्प एक ही है। इनके अलावा प्रश्न पत्र में लगभग बीस फीसद सवालों में त्रुटियां थीं, जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। छात्रों ने सीपीएमटी रद कर दोबारा कराने और आय-व्यय की जंच सीएजी या अन्य किसी विश्वसनीय संस्था से कराने की मांग की।

पृष्ठ 15, दैनिक जागरण लखनऊ, 18 जून 2015

श जागरण

लखनऊ, 18 जून 2015 दैनिक जागरण | 15

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से रद कराएंगे यूपीसीपीएमटी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उत्तर प्रदेश संयुक्त मेडिकल प्रवेश परीक्षा (यूपीसीपीएमटी) को दोबारा कराने की लड़ाई लड़ रहे छात्र छात्राएं सर्वोच्च न्यायालय के एआइपीएमटी रद करने के फैसले को आधार बनाएंगे। उस फैसले में सीपीएमटी में भी एआइपीएमटी की तर्ज पर पर्चा आउट करने व नकल कराने की बात का जिक्र है।

उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस व बीयूएमएस में प्रवेश के लिए 25 मई को हुए यूपीसीपीएमटी का पर्चा आउट हो गया था। एसटीएफ द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी परीक्षा रद नहीं की गई थी, ऊपर से परिणाम भी घोषित तारीख से नौ दिन पहले घोषित कर दिया गया था। इस बीच 15 जून को सर्वोच्च न्यायालय ने अखिल भारतीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा (एआइपीएमटी) रद करने का आदेश दे दिया है। इससे यूपीसीपीएमटी दोबारा कराने के लिए संघर्ष कर रहे छात्र-छात्राएं खासे उत्साहित हो गए हैं। उनका कहना है कि एसटीएफ ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में परीक्षार्थियों से 15 से 20 लाख रुपये लिये जाने की बात कही है। छात्रों के संघर्ष में सहभागी स्वराज आंदोलन ट्रस्ट के प्रबंध ट्रस्टी घनश्याम श्रीवास्तव ने कहा कि यूपीसीपीएमटी में धांधली के स्पष्ट सबूत सामने होने के बावजूद सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है।

क्या है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में

''यहां यह जिक्र करना उचित है कि जांच के दौरान आरोपी नन्हा व सुजीत ने यह रहस्योद्घाटन किया है कि 25 मई को हुई राज्य स्तरीय परीक्षा यूपीसीपीएमटी में भी उन्होंने विजय यादव से उत्तर के विकल्प (आंसर की) प्राप्त किए। इसके लिए उन्होंने अंडर गारमेंट में कंसील्ड वायरिंग के माध्यम से इलेक्ट्रानिक डिवाइस फिट करने के तरीके का इस्तेमाल किया।''

-41 पेज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पेज नंबर 14 का पांचवां बिंदु।

HINDUSTAN TIMES, LUCKNOW, SATURDAY, JUNE 20, 2015

CKNOW
2015

UPCPMT paper leak: High court seeks reply from state

HINDUSTAN TIMES

LUCKNOW : The Lucknow bench of the Allahabad high court has directed the state government to file its reply on a writ petition, seeking direction for cancelling the UPCPMT examination 2015, in the alleged paper leak matter. It also directed the state to file investigation report of the paper leak case in the court on July 28.

Justice Rajan Roy passed this order on a writ petition filed by three CPMT applicants. Petitioners' counsel Nutan Thakur submitted that the leakage of paper had become public in the beginning of the test and the STF had got an FIR registered at Gautampalli police station here, arresting 13 persons. Hence, UP CPMT exam should be cancelled, she said.

According to chief standing counsel (CSC) Mohammad Mansoor, some selected candidates appeared through their counsel to oppose the petition. They also prayed to get the matter transferred to Allahabad, where an identical matter was being heard.

July 27 was fixed as the next date of hearing the case, the CSC said.

The court, while giving time to the respondents, including the state government, to file counter affidavit, directed to file investigation report before the court on the next date of hearing (to be filed in Allahabad on July 27). It fixed July 28 as the next date of hearing the matter, the CSC said.

MANOJ KUMAR SINGH

MEDICAL ASPIRANTS KEEP FINGERS CROSSED

LUCKNOW: Cancellation of the All-India Pre-Medical Test-2015 (AIPMT) has left aspiring medicos apprehensive, especially those who did not take many other exams and are counting on the CPMT. Akshay, who is among top 5 in the CPMT, is waiting for the counselling slated to begin from June 22. Hoping that CPMT would not be cancelled, he is anxiously keeping a watch on the developments in this regard. The Supreme Court ordered cancellation of AIPMT while hearing petitions seeking re-exam following paper leak and circulation of answer keys through electronic devices at various centres in 10 states. The court has asked CBSE to re-conduct the exam and declare results before August 17. "I have cleared another medical entrance exam but hope that CPMT is not cancelled," said Saharsh who got second position. The CPMT admission process (two rounds of counselling) is to be over by July 27 itself but what if the results get cancelled on the basis of allegations levelled? "The STF probe is still going on while the Supreme Court has mentioned in its order for AIPMT cancellation that the same electronic devices were used for obtaining CPMT question paper that were earlier used for AIPMT. All this is enough to cancel and re-conduct CPMT-2015," opined Ghanshyam Srivastava, who is running campaign for cancellation of CPMT. However, candidates who have secured a rank enough to get a seat want the admission process to go on. "Unless there is evidence to prove anomalies in CPMT why should it be cancelled. It is not easy to study again and again for the same exam," said a CPMT candidate. HTC



TOUGH TIME FOR CANDIDATES

- If the CPMT counselling gets underway, it will be tough for candidates this time around.
- Usually, toppers who used to get a seat in parestigious colleges outside UP through AIPMT left UP colleges. With AIPMT to be re-conducted later, they will not leave seats and hence merit will not come down to give space to candidates with a little lower rank.
- "The STF probe is still going on while the SC has mentioned in its order for AIPMT cancellation that the same electronic devices were used for obtaining CPMT question paper that were earlier used for AIPMT. All this is enough to cancel CPMT-2015," opined Ghanshyam Srivastava, who is running campaign for cancellation of CPMT.

■ Posters pasted outside KGMU gate by a group running a campaign for CPMT cancellation. HT PHOTO

परिणाम – सरकार ने परीक्षा तो दोबारा नहीं करवायी थी, लेकिन इसका सुखद परिणाम यह रहा कि उस दौरान लखनऊ में जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई उनमें प्रशासन सख्त रहा और धांधली नही हुई थी।

जिन परीक्षा केन्द्रों को लेकर स्वराज आन्दोलन ट्रस्ट ने आपत्ति उठायी थी उनको उस दौरान परीक्षा केन्द्र नही बनाया गया था हालांकि वर्तमान में फिर वे परीक्षा केन्द्र बन रहे हैं। इसके लिये सतत आन्दोलन की आवश्यकता है।

8. CPMT-2016 के अभ्यर्थियों की फीस वापस करवाने के लिये आन्दोलन।

CPMT-2016 के लिये आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गयी थी, अभ्यर्थियों ने निर्धारित शुल्क को जमा कर आवेदन कर दिया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से वर्ष– 2016 से नीट लागू हो गया था और उ0 प्र0 सरकार ने अन्ततः नीट परीक्षा के माध्यम से MBBS की सीटें भरने का निर्णय ले लिया था।

अब प्रश्न यह था कि जब **CPMT–2016** की प्रवेश परीक्षा होनी नहीं है तब परीक्षा आयोजक संस्था ने परीक्षा कराने के लिये जो फीस अभ्यर्थियों से ली है वह फीस अभ्यर्थियों को वापस करना चाहिये, क्योंकि परीक्षा आयोजक संस्था का अब कुछ भी खर्च नही होगा।

अभ्यर्थियों को फीस वापस करवाने के लिये ट्रस्ट ने काफी संघर्ष/आन्दोलन किया था।

अखबारों में छपी खबरों का विवरण

पृष्ठ 07, दैनिक जागरण
लखनऊ, 5 दिसम्बर 2016



शुल्क वापसी की मांग

स्वराज आंदोलन ट्रस्ट ने सीपीएमटी अभ्यर्थियों की शुल्क वापसी की मांग की है। साथ ही 15 दिन तक निस्तारण न होने पर सड़क पर उतरने की चेतावनी दी। ट्रस्ट के अध्यक्ष घनश्याम श्रीवास्तव ने कहा कि सीपीएमटी शुल्क के नाम पर अभ्यर्थियों से करीब 17 करोड़ रुपये जमा कराए गए। मगर नीट परीक्षा होने के बावजूद अभ्यर्थियों का जमा सीपीएमटी शुल्क वापस नहीं किया गया। ऐसे में यदि अब शीघ्र अभ्यर्थियों का शुल्क वापस नहीं किया गया तो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा।

पृष्ठ 04, अमर उजाला माई सिटी
लखनऊ, 5 दिसम्बर 2016



फीस वापसी पर अड़े सीपीएमटी के अभ्यर्थी

लखनऊ (ब्यूरो)। सीपीएमटी-2016 के अभ्यर्थियों ने फीस वापसी की मांग की है। स्वराज आंदोलन ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम श्रीवास्तव ने बताया कि सीपीएमटी परीक्षा 17 मई को निर्धारित था। इसी दौरान सर्वोच्च न्यायलस ने परीक्षा रद्द करते हुए नीट परीक्षा के तहत दाखिले पर मुहर लगा दी। नीट से परीक्षा और दाखिले के बाद निर्देश हुआ कि सीपीएमटी परीक्षा के आवेदन में लगी फीस को वापस किया जाएगा। छात्रों का कहना है कि 15 दिन के भीतर फीस वापस नहीं की गई तो छात्र सड़क पर उतर आंदोलन करेंगे।

मांगें नहीं मानी तो 15 दिन बाद सड़क पर उतरने की दी चेतावनी

परिणाम– इस मामले में उ0 प्र0 सरकार व परीक्षा आयोजक संस्था ने अभ्यर्थियों की मांगो पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था और उनका पूरा पैसा डकार गयी थी।

9. 31 दिसम्बर 2019 को लाये गये भूमि–अधिग्रहण अध्यादेश का उ0 प्र0 के लखनऊ, उन्नाव, बहराइच, उरई, जालौन आदि जनपदों में व्यापक विरोध प्रदर्शन व जन जागरण हेतु भूमि–अधिग्रहण विषय पर लिखी गयी स्वराज – पुस्तिका का निःशुल्क वितरण।

परिणाम–यहाँ पर यह कहना कि "स्वराज आन्दोलन ट्रस्ट" के द्वारा अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने और स्वराज पुस्तिका के निःशुल्क वितरण से भूमि अधिग्रहण अध्यादेश केन्द्र सरकार ने वापस ले लिया था, सूरज को दीपक दिखाने के समान होगा। इस अध्यादेश में कई खामियाँ थी, पूर देश में इसके विरोध में आन्दोलन हुआ था, अंततः सरकार को इसे वापस लेना पड़ा था। उस आन्दोलन में साथियों के कहने पर स्वराज–आन्दोलन ट्रस्ट ने भी अपनी भूमिका निभायी थी।

अखबारों में छपी खबरों का विवरण

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में छापी पुस्तिका

बहराइच | हिन्दुस्तान संवाद

केन्द्र सरकार की ओर से लाए जा रहे नए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध जिले की प्रमुख समाजसेवी संगठन रूल ऑफ लॉ सोसयटी भी कर रही है। शुक्रवार की दोपहर में कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन सभागार में स्वराज पुस्तिका के द्वितीय संस्करण का विमोचन समाजसेवी अधिवक्ता मैथिलीशरण ने किया।

मुख्य अतिथि श्री शरण ने कहा कि जिन पांच उद्देश्यों को लेकर मोदी सरकार ने नए अध्यादेश से किसानों की सहमति का प्रावधान हटाया है।

स्वराज पुस्तिका में प्रबंध ट्रस्टी ने उन्हीं उद्देश्यों का बिन्दुवार जमीन



स्वराज पुस्तिका का विमोचन करते मुख्य अतिथि • हिन्दुस्तान

विश्लेषण किया है। जिसमें पांच में से चार उद्देश्य जनता के धन की बरबादी करने वाले व भ्रष्टाचार के नए दरवाजे खोलने वाले हैं। इससे किसानों को कोई लाभ नहीं होगा। कार्यक्रम में मैनेजिंग ट्रस्टी घनश्याम श्रीवास्तव ने कहा कि शासन की ओर से जिले की घोर उपेक्षा की गई है।

कार्यक्रम को पूर्व प्रधानाचार्य शत्रुघ्नलाल, संजीव श्रीवास्तव, अनिल मिश्रा, भगवान बख्श सिंह सेंगर, राजेन्द्र अवस्थी ने भी सम्बोधित किया।

'हो कहीं भी आग लेकिन, आग जलनी चाहिये...'

'स्वराज-पुस्तिका' का विमोचन

संवाददाता। बहराइच

बहराइच के कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन में भूमि अधिग्रहण पर आधारित पुस्तक "स्वराज–पुस्तिका" का विमोचन किया गया। जिसमें मोदी सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के बारे में बताते हुए सरकार और कारपोरेट घरानों के बीच का सम्बन्ध उजागर करने की कोशिश की गयी।

नए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में स्वराज आन्दोलन ट्रस्ट की ओर से एक आन्दोलन चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ट्रस्ट की ओर से 16 पृष्ठ की स्वराज पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। पुस्तिका के द्वितीय संस्करण का विमोचन अध्यक्ष रूल ऑफ लॉ सोसाइटी मैथिली शरण श्रीवास्तव ने किया।



कार्यक्रम को सम्बोधित करते वक्ता व उपस्थित अधिवक्ता एवं पत्रकार

उन्होंने कहा कि देश कानून से चलता है और यदि इसमें कोई विसंगति आती है तो वकीलों को आगे आना पड़ेगा। मोदी जी को सभी लोगों को विकास करने के लिए सहयोग दिया था, लेकिन उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र को छोड़ दिया और अमीरों का साथ दिया। इस बारे में प्रबन्ध ट्रस्टी घनश्याम श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में देश में लगभग 8 से 10 प्रतिशत आबादी ऐसी है जो महानगरों में जन्मी व वहीं पर पली–बढ़ी है। ऐसे लोग गांवों की जमीनी हकीकत से अनभिज्ञ है। केन्द्र सरकार ऐसे ही लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी–विकास का हल्ला मचाकर गुमराह कर रही है। इनके मन्त्री झूठ–मूठ की बहस की चुनौती देते घूम रहे हैं। विपक्ष मुद्दों पर बहस न करके सिर्फ विरोध कर रहा है। इस विषम परिस्थिति में भ्रम को दूर करने के लिए इस पुस्तिका का प्रकाशन किया गया है। पुस्तिका का मूल उद्देश्य केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि जिन बातों को लेकर प्राथमिक विद्यालय, अस्पताल, गरीबों के लिए आवास आदि के लिए भूमि अधिग्रहण किए जाने की बात कही जा रही है। वह जमीने पहले से ही भूमि बैंक के पास उपलब्ध है। सरकार इन बातों को छुपा कर किसानों को गुमराह कर रही है। केन्द्र सरकार का मकसद मात्र जमीन अधिग्रहण कर उद्योगपति घरानों को देना है। इस अवसर पर पूर्व प्राचार्य शत्रुहन लाल ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षकों को जागना होगा, जिससे समाज व देश का विकास हो सके। उन्होंने पंक्ति पढ़ते हुए कहा कि "हो कहीं भी आग लेकिन, आग जलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं, तेरे सीने में सही, पर आग जलनी चाहिए।" उन्होंने कहा ७०५० में कहने के लिए बहुत सी शिक्षण संस्थाएं है, परन्तु सब ध्वस्त हो चुकी हैं। कार्यक्रम का संचालन संजीव श्रीवास्तव ने किया।

एरिया, नादरगंज लखनऊ से मुद्रित एवं चौथी मंजिल, सहारा शापिंग सेंटर, फैजाबाद रोड, लखनऊ से प्रकाशित। सम्पादक: चन्दन मित्रा

स्वराज पुस्तिका का विमोचन

बहराइच (एसएनबी)। स्वराज आंदोलन ट्रस्ट द्वारा भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरोध में चलाये जा रहे आंदोलन के क्रम में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्वराज पुस्तिका के द्वितीय संस्करण का विमोचन रूल ऑफ सोसाइटी के अध्यक्ष मैथली शरण श्रीवास्तव द्वारा किया गया। इस पुस्तिका के लेखक घनश्याम श्रीवास्तव भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जिन उद्देश्यों को लेकर मोदी सरकार द्वारा नये अध्यादेश से किसानों की सहमति का प्राविधान हटाया गया है। उनमें से चार उद्देश्य जनता के धन बर्बादी व भ्रष्टाचार के नये दरवाजे खोलने वाले हैं। पुस्तिका के लेखक श्री श्रीवास्तव ने कहा कि इस अध्यादेश के जरिये गरीबों के आवास हेतु भूमि अधिग्रहीत किया जायेगा, जबकि कांग्रेस शासन के दौरान बनाये गये इन्दिरा आवास में लोग जानवर बांधने व लकड़ी कंडा रखने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने की इच्छा है तो किसानों, गरीबों को उनकी खतौनी व आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरिया व सीमेंट को करमुक्त कर दिया जाय। इससे भवन निर्माण की लागत में कम से कम 30 प्रतिशत की कमी आ जायेगी और गरीब भी आवास बनवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इण्डस्ट्रीयल कारीडोर व राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर एक-एक किमी दायरे की भूमि का अधिग्रहण किया जाना उचित है, परन्तु स्थानीय किसानों का इसका लाभ तभी मिलेगा जब उन उद्योगों में 75 प्रतिशत लघु उद्योग शामिल हो और इन लघु उद्योगों का स्वामित्व स्थानीय निवासियों द्वारा ही किया जाय। उन्होंने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। इसका विकास इण्डस्ट्रीयल कारीडोर से न होकर एग्रीकल्चर/इण्डस्ट्रीयल कारीडोर से ही सम्भव है।

उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत संरचना की स्थापना पर कहा कि जो प्राथमिक विद्यालय पहले से ही चल रहे हैं उसी परिसर में नये कक्ष बनवाये जायें। इसी प्रकार स्वास्थ्य केन्द्रों के पास उपलब्ध भूमि पर नई पैथालॉजी दवाघर आदि का निर्माण किया जा सकता है। माध्यमिक विद्यालयों के पास पूर्व से ही पर्याप्त भूमि है वहां मात्र नकल रोककर गुणवत्तापरत शिक्षा देने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा क्षेत्र में भारी संख्या में विद्यालय महाविद्यालय निजी क्षेत्र में संचालित हैं। वहां पर भी गुणवत्ता बढ़ाने व भ्रष्टाचार रोकने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अनुभवी भाजपा नेताओं के स्थान पर स्मृति ईरानी को मानव संसाधन विकास मंत्री बनाकर उच्च शिक्षा के विकास के प्रति अपनी मंशा जाहिर कर दी है। विद्युत उत्पादन के सम्बन्ध मे उन्होंने कहा कि नये विद्युत सयंत्रों के लिए प्रदेश के पास उपलब्ध भूमि बैंक के डाटा को सार्वजनिक कर उसका उपयोग किया जाना चाहिए।

www.jagran.com

स्वराज पुस्तिका से दूर होगा भ्रम

जार्स, बहराइच : शुक्रवार को स्वराज आंदोलन ट्रस्ट के तत्वावधान में कलेक्ट्रेट बार एशोसिएशन के सभागार में स्वराज पुस्तिका का विमोचन किया गया। पुस्तिका में केंद्र सरकार के नये भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के बारे में फैली भ्रम की स्थिति को दूर करने का प्रयास किया गया है। स्वराज पुस्तिका का विमोचन रूल आफ ला सोसायटी के अध्यक्ष मैथिलीशरण के हाथों हुआ।

प्रबंध ट्रस्टी घनश्याम श्रीवास्तव ने कहा कि आंदोलन की ओर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर निकाली गई पुस्तिका का यह दूसरा संस्करण है। महानगरों में रह रही 8 से 10 फीसद आबादी गांवों की जमीनी हकीकत से अंजान है। कुछ लोग नीयत साफ होते हुए भी जानकारी के अभाव में इस अध्यादेश का समर्थन करते हैं। स्वराज पुस्तिका में मोदी सरकार के पांच उद्देश्यों को लेकर जमीनी विश्लेषण किया गया है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा बहराइच जनपद की घोर उपेक्षा की जा रही है। सपा सरकार क्षेत्र व जाति के आधार पर भेदभाव करती है। इस मौके पर शत्रुहन लाल, संजीव श्रीवास्तव, अनिल मिश्रा, भगवान बख्श सिंह सेंगर, राजेंद्र आदि रहे।

10. ऐसे अनगिनत मामले है, जिनमें पीड़ित पक्ष दशकों से सरकारी विभागों में धक्के खा रहे थे, समुचित पैरवी के अभाव में उन्हें न्याय नही मिल पा रहा था, लेकिन लोगों के माध्यम से जब ये लोग ट्रस्ट के सम्पर्क आये तब ट्रस्ट ने इनकी समुचित पैरवी की ओर इनको न्याय दिलाया। इन व्यक्तिगत मामलों का यहाँ उल्लेख नहीं किया जा रहा है क्योंकि यह ट्रस्ट के सिद्धांतों के खिलाफ है।

ट्रस्ट के सदस्यों/पदाधिकारियों की सूची

क्षेत्रीय समिति

1. डा0 अजय बहादुर -संरक्षक / सदस्य
2. श्री ए.के. पाण्डेय - संरक्षक / सदस्य
3. श्री घनश्याम कुमार श्रीवास्तव
 प्रदेश अध्यक्ष, उ0प्र0
4. श्री अजय गुप्ता-प्रदेश सचिव, व प्रदेश मीडिया प्रभारी, उ0प्र0
5. श्री रमेश वर्मा-प्रदेश उपाध्यक्ष उ0प्र0, निवासी - बहराइच
6. डा0 मुकेश यादव, एडवोकेट-सदस्य, निवासी-लखनऊ
7. डा0 दिलीप गुप्ता-सदस्य, निवासी - कैसरगंज बहराइच
8. डा0 प्रदीप चौधरी-सदस्य, निवासी-बस्ती
9. डा0 हसन अहमद-सदस्य, निवासी -आजमगढ़
10. डा0 नवनीत त्रिपाठी-सदस्य, निवासी-बलरामपुर
11. श्री प्रीतपाल सिंह सलूजा-जिला उपाध्यक्ष लखनऊ
12. श्री रेहान गनी, सदस्य निवासी लखनऊ
13. श्री आनन्द कुमार श्रीवास्तव, निवासी-लखनऊ
14. श्री कमल किशोर-सदस्य निवासी-लखनऊ
15. श्री संजीव श्रीवास्तव-सदस्तय निवासी बहराइच
16. श्री मिथिलेश नारायण श्रीवास्तव-सदस्य निवासी-बहराइच
17. श्री शुभम वर्मा-सदस्य, निवासी बाराबंकी
18. श्री बबलू श्रीवासतव-सदस्य, निवासी-बराबंकी
19. श्री दुर्गेश चौधरी, सदस्य, निवासी-लखनऊ
20. श्री उत्कर्ष श्रीवासतव-सदस्य, निवासी-कैसरगंज, बहराइच
21. श्री शिवम श्रीवास्तव-सदस्य, निवासी-बहराइच
22. श्री आंकारनाथ वर्मा-सदस्य, निवासी-बहराइच
23. श्री बाबू जी वर्मा-सदस्य निवासी-मिंहीपुरवा, बहराइच
24. डा0 नीलेश मौर्या-सदस्य, निवासी-मिंहीपुरवा, बहराइच
25. डा0 अयूब अंसारी-सदस्य, निवासी-आजमगढ़

पाठकों के सुझाव हमारे लिये बहुमूल्य है।

कृपया अपने सुझाव निम्नलिखित पते पर पत्र/मेल से अवश्य भेजें।

पता :